बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2006—ज्येष्ठ 9, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,

1. उप नियम 4 की कंडिका (3), (4), (6) एवं उप नियम 5 में शब्द "राज्य सूचना आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सूचना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. उप नियम 4 की कंडिका (5) में शब्द "सूचना आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सूचना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.